नये रक्त केन्द्र खोलने की प्रक्रिया

- नये रक्त केन्द्रों के अधिष्ठापन हेतु Online आवेदन Google Form के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- औषधि एवं अगंराग अधिनियम के आधार पर Detailed Checklist, झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के Website पर उपलब्ध होगी।
- नये रक्त केन्द्रों के अधिष्ठापन हेतु झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा अखबारों तथा अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
- अस्पताल/चैरिटेबल संस्था, अपना आवेदन Online google form के माध्यम से समर्पित कर सकेगी।
- अस्पताल/चैरिटेबल संस्था द्वारा नये रक्त केन्द्र खोले जाने हेतु प्रेषित आवेदनों की राज्य औषधि निदेशालय, राँची के द्वारा जाँच/समीक्षा की जाएगी।
- जिन संस्थानों का आवेदन समीक्षा के उपरान्त संतोषजनक पाया जाएगा, उस संस्थान की जाँच संबंधित क्षेत्र के औषधि निरीक्षक द्वारा कराई जाएगी।
- संबंधित आवेदक अस्पताल/चैरिटेबल संस्था का औषधि निरीक्षक निरीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन राज्य औषधि निदेशालय को उपलब्ध कराऐंगे।
- राज्य औषधि निदेशालय द्वारा जिन संस्थानों के अहर्ता अनुज्ञप्ति हेतु योग्य होगी, वैसी संस्था अपना आवेदन विहित प्रपत्र में निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 7,500/— , के साथ औषधि निदेशालय को www.egrassjharkhand के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।
- राज्य औषधि निदेशालय, प्राप्त आवेदन एवं शुल्क के साथ CDSCO, East Zone, Kolkata से समन्वय स्थापित कर संस्थानों का संयुक्त निरीक्षण करवाते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे।
- जिन संस्थानों के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन सही पाये जाऐंगे, उन संस्थानों का आवेदन अग्रतर कार्रवाई हेतु राज्य औषधि निदेशालय द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु CDSCO, New Delhi को अग्रसारित किया जाएगा।
- जिन संस्थानों के आवश्यक मुलभूत सुविधा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें आवश्यक सुधार करने हेतु संसूचित किया जाएगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आपत्तियों के निराकरण हेतु कुछ समय दिया जाएगा एवं पुनः क्षेत्र के औषधि निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।